



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना-बिंवार में पंजीकृत मु०अ०सं०- 162/1991 धारा- 5/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय मा० न्यायालय एसीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शकूर पुत्र अशरफ फकीर निवासी खेड़ाशिलाजीत थाना जरिया जनपद को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कारावास व ₹ 5,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
अमर जयसवाल



विवेचक-
उ०नि० आर०पी०
यादव



पैरोकार- थाना-बिंवार
का० रवीन्द्र प्रताप मौर्या